न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/15/2019	24–05–2019	12–09–2019

1– श्रीराम दत्तक पुत्र मनकौरी जाति अहीर निवासी ग्राम रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– दीना राम पुत्र छोटन जाति अहीर निवासी ग्राम रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री मनीष कुमावत –वकील प्रार्थी
02. श्री दुलीचन्द यादव –वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी श्रीराम बनाम दीना को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक राजस्व वाद उनवान श्रीराम बनाम दीना उपखण्ड अधिकारी नीमराना न्यायालय में पेश किया हुआ है। अप्रार्थी की ओर से मुकदमें में नजदीक की तारीख पेशी कराने हेतु एक प्रा0पत्र दि0 10.04.2019 को पेश किया गया। जिस पर मिन प्रार्थी के वकील साहब को नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर दि0 18.04.2019 को प्रार्थी के वकील साहब न्यायालय में उपस्थित हुए। जवाब में आगामी पेशी 22.04.2019 नियत की गई। दि. 22.04.19 को जवाब पेश होना था किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा आगामी दि. 25.04.19 नियत कर दी। पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहां कि दि0 25.04.19 को मैं प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दुंगा तथा यह भी कहां कि प्रार्थी ने जो दावा किया है उसके साथ जो प्रा0पत्र पेश किया है उसे भी खारिज कर दुंगा। अप्रार्थी ने ऐलानिया तौर पर कहां कि पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है तथा फैसला उनके पक्ष में हो जायेगा। अतः प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधी प्रकरण श्रीराम बनाम दीना को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाये जाने आदेश किये जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दावे के साथ प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया गया था। जिस पर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी। नोटिस की तामील होने पर अप्रार्थी द्वारा दि0 10.04.2019 को त्वरित न्याय की मंशा से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नजदीकी पेशी का प्रा0पत्र पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया। दि0 18.04.2019 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। पेशी दि. 22.04.2019 नियत की गई। इसके पश्चात् पेशी दि0 25.04.2019 नियत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.J.O.

(2)

अप्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र 212 का जवाब पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा काल्पनिक कहानी गढकर त्वरित न्याय की मंशा में बाधा कारित करते हुए मुन्तकिल प्रा0पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया जो सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा उनके समक्ष पेश प्रकरण श्रीराम बनाम दीना राम में समस्त सुनवाई/कार्यवाही खुले न्यायालय में पक्षकारान् एवं अधिवक्ताओं की मौजूदगी में विधि अनुसार की गई है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी ने दि0 10.04.2019 को शीघ्र सुनवाई प्रा0पत्र पेश किया जिसमें तल्वी हेतु दि0 15.04.2019, 16.04.2019, 18.04.2019 एवं 22.04.2019 को शीघ्र सुनवाई प्रा0पत्र स्वीकार कर मूल वाद जवाब हेतु लगाया गया। प्रा0पत्र 212 में जवाब पेश किया गया। पत्रावली दि0 25.04.2019 को वास्ते बहस नियत की गई। प्रार्थी द्वारा बाकी सभी तथ्य बनावटी व मनगडंत पेश किये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2019 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)